12- **सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, आवंटित राशि एवं कार्यक्रम लाभार्थियों के विवरण :-**

विभाग द्वारा निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान योजनान्तर्गत (पेंशन) रू0 300/- प्रतिमाह की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस योजना में कुल 1631654 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है, जिस हेतु कुल रू0 56891.20 लाख प्राविधानित है। योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे निवासरत निराश्रित महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो, को पेंशन देय होती है। ग्रामीण क्षेत्र में योजना ग्राम पंचायतों एवं ब्लाक के माध्यम से संचालित है एवं शहरी क्षेत्र में तहसीलदार की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है।

योजना के अन्तर्गत पति की मृत्यु के उपरान्त अनुदान प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रू0 10 हजार सहायता/अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2010- 11 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 75.00 लाख का प्राविधान है।

पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार योजना के अर्न्तगत निराश्रित महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो, से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कृत किये जाने की योजना संचालित है, बशर्ते कि वह आय-कर दाता न हो। दम्पति को विवाह से एक वर्ष के अंदर अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है एवं जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त दम्पत्ति को रू. 11000.00 का पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2010-11 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 68.00 लाख का प्राविधान है।

दहेज से पीड़ित महिलाओं द्वारा जो राजकीय संस्था की संवासिनी न हों, किसी अन्य विभाग से सहायता न प्राप्त कर रही हों, थाने में उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज करा चुकी हा अथवा न्यायालय में जिनका वाद विचाराधीन हो तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो, को जिला परिवीक्षा अधिकारी, जो जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी नामित हैं, के कार्यालय में सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र देना होता है। जिलाधिकारी की स्वीकृत क उपरान्त पात्र उत्पीड़ित महिला को रू. 125/- प्रतिमाह की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2010-11 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 10.00 लाख का प्राविधान है।

दहेज से पीड़ित परित्यक्त महिलाओं को, जिन्हें अन्य विभाग द्वारा सहायता प्राप्त न हो रही हो, अपने भरण पाषण हेतु आय के कोई श्रोत न हों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हों, को जिला परिवीक्षा अधिकारी, जो जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी नामित हैं, के कार्यालय में सहायता हेतु आवेदन पत्र देना होता है एवं जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ऐसी उत्पीड़ित महिला को मुकदमे की पैरवी हेतु अधिकतम रू. 2500/- की एक मुश्त सहायता दी जाती है। वर्ष 2010-11 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 10.00 लाख का प्राविधान है।

किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण)अधिनियम के अन्तर्गत संचालित संस्थायें

आपराधिक मानसिकता से न जुड़े होने पर अल्पायु बालक/बालिकायें एवं किशोर/किशोरियॉ जो अपराध की गिरफ्त में आ जाते हैं अथवा कुछ ऐसे अबोध,असहाय एवं निराश्रित बालक/बालिकायें जिन्हें माता-पिता अथवा संरक्षण के अभाव के कारण विकास के समुचित अवसर प्राप्त नही हो पाते, उन्हें अपराध की दुनिया से निकालने तथा संरक्षण प्रदान करने एवं अबोध तथा असहाय बालकों/बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करते हुये समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से विभाग द्वारा कई गृहों का संचालन किया जाता है जिसमें बालक/बालिकाओं, किशोर/ किशोरियों को आयु, लिंग व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न गृहों में संरक्षण

प्रदान किया जाता है । प्रदेश की इस मानव शक्ति को अच्छा नागरिक बनाने के लिये शासन बचनबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हेतु वर्तमान में महिला कल्याण विभाग द्वारा जिन गृहों का संचालन किया जा रहा है, वे निम्नवत् हैं :-

(क) राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर)

विधि का उल्लंघन करने वाले 07 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को उक्त गृह में निरूद्ध किया जाता है, इन गृहों में किशोरों को वाद के विचाराधीन अवधि तक रखा जाता है, जो निम्न 17 जनपदों में संचालित हैः-

आगरा, मथुरा, ललितपुर, लखनऊ, हरदोई, बरेली, मेरठ, मुजफफरनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, इलाहाबाद, कानपुर नगर (कल्याणपुर) फर्रूखाबाद, एवं फेजाबाद। इसके अतिरिक्त जनपद झांसी, चित्रकूट, मीरजापुर व गोण्डा मे एक-एक सम्प्रेक्षण गृह संचालित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

(ख) राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी)

विधि का उल्लंघन करने वाले 07 से 18 वर्ष आयु की किशोरियों को प्रदेश की 05 संस्थाओं में संरक्षण प्रदान किया जाता है, इन किशोरियों को वाद के विचाराधीन अवधि तक रखा जाता है, जो जनपद बाराबंकी, मुरादाबाद, मिर्जापुर, सीतापुर एवं गाजियाबाद में संचालित है। इसके अतिरिक्त जनपद झांसी, चित्रकूट व गोण्डा में एक-एक गृह संचालित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

(ग) राजकीय विशेष गृह (किशोर)

सजायाफ्ता किशारों के लिये यह गृह जनपद इटावा में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये संचालित हैं।

(घ) राजकीय विशेष गृह (किशोरी)

सजायाफ्ता किशोरियों के लिये यह गृह, जनपद बाराबंकी में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये संचालित है ।

(ड.) राजकीय बाल गृह (बालक)

देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिये कुल 10 गृह संचालित हैं जो निम्न जनपदों में संचालित हैं :- लखनऊ, ललितपुर, वाराणसी, गाजीपुर, कानपुर, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, देवरिया, आजमगढ़ एवं मेरठ ।

(च) राजकीय बाल गृह (बालिका)

देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली (10 से 18 वर्ष) हेतु बलिया, इलाहाबाद, लखनऊ व कानपुर में कुल 04 गृह संचालित है ।

(छ) पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन (महिला)

18 वर्ष से ऊपर की आयु की बालिकाओं क समाज की मुख्य धारा में पुर्नवासित करने के उद्देश्य से देखरेख के लिये जनपद रायबरेली, वाराणसी, सहारनपुर और मेरठ में कुल 04 गृह संचालित है, जिनमें व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाते हुये पुर्नवासन की कार्यवाही की जाती है विवाह एवं नौकरी द्वारा भी पुर्नवासित किया जाता है।

(ज) पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन (पुरूष)

18 वर्ष से ऊपर की आयु के बालकों समाज की मुख्य धारा में पुर्नवासित करने के उद्देश्य से जनपद शाहजहॉपुर व सीतापुर में एक-एक गृह संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

(ज) <u>राजकीय बाल गृह (शिशु)</u>

देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 0 से 10 वर्ष के अबोध एवं निराश्रित बच्चों के लिये गृह प्रदेश के 05 जनपद लखनऊ, आगरा, मथुरा, रामपुर एवं इलाहाबाद में संचालित हैं इन बच्चों को गोद लेकर पुर्नवासित किया जाता है

उपरोक्त सभी संस्थाओं/ गृहों में रहने वाले शिशुओं ,बालक / बालिकाओं एवं महिलाओं को रहने, खाने, पीने, कपड़े , शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है तथा 18 वर्ष से ऊपर की बालिकाओं एवं महिलाओं को विवाह, रोजगार एवं निजी व्यवसाय हेतु व्यावसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण के माध्यम से पुर्नवासित किया जाता है । बालिकाओं को विवाह के समय रू0 15,000/- तथा रोजगार हेतु रू0 7,500/- तथा बालकों को रोजगार हेतु रू0 7,500 अनुदान के रूप में विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाता है।

<u>अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत संचालित संस्थायें</u> :-

(क) <u>जिला शरणालय एवं प्रवेशालय</u> -

उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निदेशालय के नियंत्रण में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 06 जिला शरणालय एवं प्रवेशालय जनपद फैजाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद, बरेली, मथुरा एवं इटावा संचालित हैं ।

(ख) <u>राजकीय संरक्षण गृह-</u>

उत्तर प्रदेश में 05 संरक्षण गृह संचालित है जो जनपद आगरा, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर व लखनऊ में राजकीय संरक्षण गृह स्थापित हैं। इन गृहों में भी अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के आदेश के तहत महिलाओं को निरूद्ध किया जाता है।

<u>घरेलू हिसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005-</u>

प्रदेश में **घरेलू हिसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005** प्रभावी है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एंव अनुश्रवण हेतु प्रकोष्ठ का गठन प्रस्तावित है। अधिनियम की धारा-8 (ए) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में अपने जिला क्षेत्र क अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी नामित किया गया है। अधिनियम की धारा-14 एंव घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण नियमावली के नियम-13 के अन्तर्गत व्यथित महिला को प्रत्येक प्रकार का संरक्षण यथा आश्रय चिकित्सा, एंव विधिक के उद्देश्यों से स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 200 सेवा प्रदाता पंजीकृत किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 91 स्वैच्छिक संगठनों को सेवा प्रदाता पंजीकृत किया जा चुका है तथा व्यथित महिलाओं को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से 500 परामर्शी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है घरेलू हिंसा से संबंधित प्राप्त प्रकरणों पर जनपद स्तर से कार्यवाही की जाती रही है।

<u>बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 -</u>

बाल विवाह को रोकने की दिशा में पूर्व पारित अधिनियम को समाप्त कर भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण भाग-2 खण्ड-1 में दि प्रोहिबिशन आफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 अधिसूचित किया गया है।

अधिनियम की धारा-16(1) की दी गयी व्यवस्थानुसार श्री राज्यपाल महोदय द्वारा जिले में तैनात जिला प्रोबेशन अधिकारियों को बाल विवाह निरोधक अधिकारी नामित किया गया है। अधिनियम की धारा-19(1) के अन्तर्गत उ0प्र0 बाल विवाह नियमावली प्रस्तावित है।

दत्तक ग्रहण इकाई का स्थापना-

संशोधित अधिनियम की धारा-21 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 6 वर्ष तक के शिशुओं के कल्याणार्थ दत्तक ग्रहण व पोषण सेवा को प्रभावी बनाये जाने हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान एजेन्सो की स्थापना से दत्तक ग्रहण इकाई की स्थापना प्रस्तावित है । वर्तमान में प्रदेश में 5 शासकीय एंव 11 स्वयंसेवी संगठनो द्वारा दत्तक ग्रहण इकाइयां सचालित हैं।

भारत सरकार (महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनायें :

1- **स्टेप-**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की कार्य उत्पादकता में वृद्धि करके और उन्हें आयोत्पादन कार्यकलाप शुरू करने के योग्य बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और स्वायत्त बनाना है। कार्यक्रम में अन्तर्गत पाराम्परिक क्षेत्रों जैसे -कृषि, पशु पालन, डेरी, मत्स्य पालन, हथकरघा,हस्तशिल्प,खादी तथा ग्रामोद्योग, रेशम कीट पालन, सामाजिक वानिकी तथा परती भूमि विकास आदि में निर्धर एवं सम्पत्ति विहीन महिलाओं के कौशल उन्नयन हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा 90: धनराशि का वित्त पोषण किया जाता है।

2- **कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना-**

इस योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों/शिक्षण संस्थाओं को कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि रोजगार तथा तकनीकी प्रशिक्षण में महिलाओं के नामांकन की संख्या में वृद्धि की जा सके। अपने घरों से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं को सस्ता एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाता है। आपेक्षित धनराशि का 75: भारत सरकार, 15: राज्य सरकार तथा 10: संस्था द्वारा वहन किया जाता है।

3- **स्वाधार/हेल्प लाइन-**

कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहीं महिलाओं/लड़कियों के लिए आश्रय, खाद्य, कपड़ा व देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है।

4- **अल्पावास गृह-**

महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अल्पावास गृह स्कीम का उद्देश्य पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार, शोषण तथा अन्य कार्यो से नैतिक खतरों से ग्रस्त महिलाओं तथा लड़कियों को अस्थायी आवास तथा पुर्नवासन उपलबध कराना है। इन गृहों में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं में चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक उपचार, केस वर्क सेवा, व्यवसायिक उपचार, शैक्षणिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधायें आदि शामिल हैं।

5- **कामकाजी बालक-**

इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं औपचारिक शिक्षा प्रदान करना है ऐसे बच्चे जो किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं पढ रहे हैं या बीच में ही पढाई छोड़ चुके हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश/पुनः प्रवेश करना है।

6- <u>सामान्य सहायता -</u>

इस योजना के अन्तगत महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में ऐसे कार्यकलापों को शुरू करन के लिए विभिन्न अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो विभाग के अन्य किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं।

7- उज्जवला योजना- ट्रैफिकिगं की समस्या से पीडित महिलाओं एवं उनके बच्चों में जागरूकता लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु उज्जवला योजना संचालित है।